

न्यायालय: श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक  
मजिस्ट्रेट, अंजड जिला-बड़वानी (म0प्र0)

आपराधिक प्रकरण क्रमांक 311 / 2012  
संस्थान दिनांक 28.06.2012

म0प्र0 राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र, अंजड  
जिला-बड़वानी (म.प्र.)

-----अभियोगी

विरुद्ध

गना पिता पुनिया, तड़वी, आयु 49 वर्ष  
निवासी-गायबैड़ा, अंजड, तहसील अंजड  
जिला-बड़वानी म.प्र.

-----अभियुक्त

// निर्णय //

(आज दिनांक 28 / 02 / 2015 को घोषित )

1. पुलिस थाना अंजड द्वारा अपराध क्रमांक 186 / 2013 अंतर्गत धारा 25 बी आयुध अधिनियम में दिनांक 28.06.2012 को प्रस्तुत अभियोग पत्र के आधार पर अभियुक्त गना के विरुद्ध दिनांक 18.06.2012 को समय 23:00 बजे गायबैड़ा, पानी की टंकी के पास, अंजड पर जिला दण्डाधिकारी बड़वानी द्वारा नगर परिषद के चुनाव के दौरान खतरनाक हथियारों को लेकर चलने एवं घुमने-फिरने पर प्रतिबंध होने के आदेश क्रमांक 1026 / रीडर / 2012 बड़वानी दिनांक 04.06.2012 के निर्देश की अवज्ञा कर लोहे का फालिया लेकर व्यक्तियों को आतंकित कर उनका मानवजीवन / व्यक्तित्व संकटापन्न करने तथा अपने आधिपत्य में एक अवैध शस्त्र लोहे का फालिया बिना वैध अनुज्ञप्ति के रखने व ऐसा आधिपत्य म.प्र. शासन के अधिसूचना क्रमांक 6312-6552-11-बी (1), दिनांक 22 नवम्बर 1974 के विपरीत होने के संबंध में धारा 188 भा.द.सं. एवं धारा 25 (1-बी) बी सहपठित धारा 4 आयुध अधिनियम के अंतर्गत अपराध विचारणीय है ।
2. प्रकरण में महत्वपूर्ण स्वीकृत तथ्य यह है कि पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार किया था ।
3. अभियोजन का प्रकरण संक्षिप्त में इस प्रकार है कि घटना दिनांक 18.06.2012 पुलिस को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि अभियुक्त गना घटनास्थल गायबयड़ा में हाथ में लोहे का फालिया लिये हुए घूमते हुए लोगों को आतंकित कर रहा है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर हमराह श्यामलाल को लेकर गायबयड़ा पहुँचे। जिला दण्डाधिकारी बड़वानी द्वारा जिले में तथा शहर

अंजड़ में नगर परिषद के चुनावों को दृष्टिगत रखते हुए खतरनाक हथियारों को लेकर चलने एवं घुमने-फिरने हेतु प्रतिबंधित किया हुआ है, इसके बावजूद एक व्यक्ति से जिससे उसका नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम गना एवं निवासी अंजड़ होना बताया था जो हाथ में लोहे का फालिया लेकर लोगों को आतंकित कर रहा था तथा पूरन एवं दिनेश से विवाद करने हेतु अमादा था। पुलिस ने साक्षीगण मांगीलाल एवं मुकेश के समक्ष अभियुक्त गना के आधिपत्य से एक एक लोहे का फालिया जप्त कर प्रदर्शपी 1 का जप्ती पंचनामा बनाया तथा अभियुक्त का उक्त कृत्य पाया जाने से उसके विरुद्ध अपराध क्रमांक 186/2012 अंतर्गत धारा 25 आयुध अधिनियम में प्रकरण पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना प्रतिवेदन प्रदर्शपी 6 लेखबद्ध की। पुलिस ने अभियुक्त गना को साक्षियों के समक्ष गिरफ्तार कर प्रदर्शपी 2 का गिरफ्तारी पंचनामा बनाया तथा पुलिस ने अनुसंधान के दौरान हीरालाल, कन्हैयालाल तथा मुकेश के कथन लेखबद्ध किये गये तथा संपूर्ण अनुसंधान उपरांत प्रश्नगत अभियोग पत्र अंतर्गत धारा 188 भा.द.स. एवं 25 बी आयुध अधिनियम के न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

4. अभियोगपत्र के आधार पर मेरे पूर्व के योग्य पीठासीन अधिकारी श्री मसूद एहमद खान, तत्कालीन न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी अंजड़ द्वारा अभियुक्त गना के विरुद्ध धारा 188 द.प्र.सं. एवं धारा 25 (1-बी) बी सहपठित धारा 4 आयुध अधिनियम के अंतर्गत आरोप पत्र निर्मित कर अभियुक्त को पढ़कर सुनाए एवं समझाए जाने पर अभियुक्त ने अपराध अस्वीकार किया। धारा 313 द.प्र.सं. के परीक्षण में अभियुक्त ने स्वयं का निर्दोष होना व्यक्त किया है।

5. प्रकरण में विचारणीय निम्नलिखित है:-

1. क्या अभियुक्त ने दिनांक 18.06.2012 को समय 23:00 बजे गायबैड़ा, पानी की टंकी के पास, अंजड़ पर जिला दण्डाधिकारी बड़वानी द्वारा नगर परिषद के चुनाव के दौरान खतरनाक हथियारों को लेकर चलने एवं घुमने-फिरने पर प्रतिबंध होने के आदेश क्रमांक 1026/रीडर/2012 बड़वानी दिनांक 04.06.2012 के निर्देश की अवज्ञा कर लोहे का फालिया लेकर लोगों को आतंकित कर उनका मानवजीवन/व्यक्तित्व संकटापन्न किया ?

2. क्या अभियुक्त ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर अपने आधिपत्य में एक अवैध शस्त्र लोहे का फालिया बिना वैध अनुज्ञप्ति के रखा व ऐसा आधिपत्य म.प्र. शासन के अधिसूचना क्रमांक 6312-6552-11-बी (1), दिनांक 22 नवम्बर 1974 के विपरीत है ?

यदि हाँ, तो उचित दण्डाज्ञा ?

6. अभियोजन द्वारा अपने पक्ष समर्थन में हीरालाल (अ.सा.1), कन्हैया (अ.सा.2), मुकेश (अ.सा.3) एवं सहायक उपनिरीक्षक रामाश्रय यादव (अ.सा.4) के कथन कराये गये हैं, जबकि अभियुक्त की ओर से अपनी प्रतिरक्षा में किसी भी साक्षी के कथन नहीं कराये गये हैं।

**साक्ष्य विवेचन एवं निष्कर्ष के आधार**  
**उक्त विचारणीय प्रश्न क्रमांक 1 व 2 के संबंध में**

7. प्रकरण में आई साक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुए उक्त दोनों विचारणीय प्रश्न परस्पर सहसंबंधित होने से उक्त दोनों विचारणीय प्रश्नों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है। इस संबंध में सहायक उपनिरीक्षक रामाश्रय यादव (अ.सा.4) ने अपने कथन में बताया कि दिनांक 18.06.2012 को वह थाना अंजड़ में सहायक उपनिरीक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को उसे कस्बा भ्रमण के दौरान मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि गायबयड़ा मोहल्ले में पानी की टंकी के पास एक व्यक्ति हाथ में लोहे का फालिया लेकर लोगों से विवाद कर रहा है तथा लोगों को आतंकित एवं भयभीत कर रहा है। भ्रमण के दौरान हमराह प्रधान आरक्षक श्यामलाल यादव को साथ लेकर गायबयड़ा मोहल्ला पहुँचा जहाँ पर एक व्यक्ति हाथ में लोहे का धारदार फालिया लेकर लोगों को आतंकित एवं भयभीत कर रहा था। उसने उस व्यक्ति का नाम पता पूछा तो उसने गना पिता पुलिया तड़वी निवासी गायबयड़ा होना बताया। अभियुक्त से फालिया रखने के संबंध में लायसेंस होना पूछने पर कोई दस्तावेज नहीं होना बताया था तथा पूरण एवं दिनेश के साथ विवाद करने पर अमादा होना पाया। उसने साक्षियों के समक्ष अभियुक्त से एक लोहे का फालिया जो लगभग 10 फीट लंबा होकर घुमावदार आकर में था जिस पर लकड़ी का हत्था लगा हुआ था, को प्रदर्शपी 1 के अनुसार जप्त किया था जिसके सी से सी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त जप्त फालिया आर्टिकल 'ए' है। उसने अभियुक्त को घटनास्थल से गिरफ्तार किया था तथा उसने साक्षी मुकेश एवं हीरालाल के कथन मौके पर उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये थे। वह अभियुक्त और फालिये को लेकर थाना अंजड़ आया और थाने पर अपराध क्रमांक 186/12 आयुध अधिनियम का दर्ज किया, जो प्रदर्शपी 6 है जिसके ए से ए एवं बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी का यह भी कथन है कि घटना के समय अंजड़ शहर में नगर परिषद के चुनाव को देखते हुए कलेक्टर बड़वानी द्वारा खतरनाक हथियारों को लेकर चलने एवं घूमने पर प्रतिबंध लगाया गया था तथा इस संबंध में आदेश भी जारी किया गया था। अतः उसने भा.द.स. की धारा 188 का भी अपराध दर्ज किया था। साक्षी ने रवानगी एवं वापसी रोजनामचे की प्रतिलिपि प्रदर्शपी 7 व 8, राज्य शासन द्वारा जारी अधिसूचना की छायाप्रति एवं कलेक्टर बड़वानी के द.प्र.सं. की धारा 144 के अंतर्गत जारी आदेश की प्रति प्रदर्शपी 9 भी प्रस्तुत की है।

8. बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि उसे मुखबिर की सूचना व्यक्तिगत रूप से प्राप्त नहीं हुई थी सिर्फ थाने पर सूचना मिली थी तथा थाने पर सूचना मिलने का उल्लेख रोजनामचे में नहीं किया था। सूचना मिलते ही वह 5 से 10 मिनट में वह वहाँ पहुँच गया था। सूचना मिलते समय वह बस स्टेण्ड पर मोटरसाईकिल से था। उसने पंच साक्षियों को मौके पर ही होने से उन्हें बुलाया था, लेकिन साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि उसने साक्षियों के समक्ष अभियुक्त के आधिपत्य से आर्टिकल 'ए' का फाल्ता जप्त नहीं किया था। साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि हीरालाल, कन्हैया व मुकेश ने उसे कोई कथन नहीं दिये थे अथवा उसने उक्त साक्षियों के कथन अपने मन से लेखबद्ध कर लिये थे। साक्षी ने स्वीकार किया कि अभियुक्त द्वारा भयभीत करने से बहुत सारे व्यक्ति इकट्ठा हो गये थे। साक्षी ने स्पष्ट किया कि पूरण एवं दिनेश से विवाद करने हेतु अभियुक्त अमादा था, लेकिन उसने उक्त दोनों व्यक्तियों के कथन लेखबद्ध नहीं किये तथा उनके विरुद्ध शांति भंग करने का अपराध द.प्र.सं. की धारा 151 का दर्ज किया था। साक्षी ने स्वीकार किया कि अभियुक्त झाड़-फुक करने का कार्य करता है, लेकिन इस सुझाव से भी इंकार किया कि उसने अभियुक्त के विरुद्ध असत्य प्रकरण दर्ज किया है।

9. हीरालाल अ.सा.1, कन्हैया अ.सा. 2 तथा मुकेश अ.सा. 3 अभियुक्त से उक्त फाल्ता जप्त करने के साक्षीगण हैं, लेकिन उक्त किसी भी साक्षी ने पुलिस द्वारा उनके समक्ष अभियुक्त से उक्त फालिया जप्त करने से स्पष्ट रूप से इंकार किया है। उक्त तीनों ही साक्षियों को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षियों ने अभियोजन के मामले का कोई समर्थन नहीं किया है, यहाँ तक कि साक्षियों ने पुलिस को प्रदर्शपी 3 लगायत 5 तक के कथन देने से भी स्पष्ट रूप से इंकार किया है।

10. ऐसी स्थिति में जबकि जप्ती पंचनामे के साक्षियों ने अभियोजन के मामले का कोई समर्थन नहीं किया है और वे पक्षविरोधी रहे हैं। सहायक उपनिरीक्षक रामाश्रय यादव अ.सा. 4 ने जिन दो व्यक्ति पूरण एवं दिनेश के साथ अभियुक्त द्वारा विवाद करने पर अमादा होना बताया है, उन व्यक्तियों के कथन भी उसके द्वारा लेखबद्ध नहीं किये गये, तो ऐसी स्थिति में अभियोजन कथा शंकास्पद हो जाती है और अभियुक्त के विरुद्ध उक्त अपराध प्रमाणित नहीं होते हैं तथा अभियुक्त को इस अपराध या अन्य किसी अपराध में दोषसिद्ध नहीं ठहराया जा सकता है न ही उसके विरुद्ध कोई निष्कर्ष अभिलिखित किया जा सकता है।

11. उपरोक्त साक्ष्य विवेचन के आलोक में अभियुक्त के विरुद्ध निर्णय के चरण क्रमांक 5 में उल्लेखित दोनों विचारणीय प्रश्न संदेह से परे प्रमाणित नहीं पाये जाते हैं। अतएव अभियुक्त गना को शंका का लाभ देते हुए धारा 188 भा.द.स. एवं धारा 25(1-बी)(बी) सहपठित धारा 4 आयुध अधिनियम के अपराधों से दोषमुक्त किया जाकर उसके जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं। अभियुक्त की अभिरक्षा के संबंध में भा.द.स. की धारा 428 द.प्र.सं. का प्रमाण पत्र बनाया था।

12. प्रकरण में जप्तशुदा एक लोहे की फालिया मूल्यहीन होने से अपील अवधि पश्चात अपील न होने की दशा में नष्ट की जावे। अपील होने की दशा में उक्त जप्तशुदा संपत्ति का निराकरण माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार किया जाये।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित,  
हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

मेरे उद्बोधन पर टंकित

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)  
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट  
अंजड़, जिला-बड़वानी

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)  
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट  
अंजड़, जिला-बड़वानी



न्यायालय: श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय, अतिरिक्त मुख्य  
न्यायिक मजिस्ट्रेट, अंजड़, जिला बड़वानी (म0प्र0)

// धारा 428 दं.प्र.सं. के अंतर्गत //

मैं श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अंजड़, जिला-बड़वानी म0प्र0 आपराधिक प्रकरण क्रमांक 311/2012 (शासन पुलिस अंजड़ विरुद्ध गना) में अभियुक्त की निरोध अवधि का प्रमाण पत्र निम्नानुसार प्रस्तुत करता हूँ-

अभियुक्त का नाम :- गना पिता पुनिया, तड़वी, आयु 49 वर्ष  
निवासी-गायबैड़ा, अंजड़, तहसील अंजड़  
जिला-बड़वानी म.प्र.

गिरफ्तारी का दिनांक :- 18.06.2012

पुलिस रिमाण्ड की अवधि :- निरंक

न्यायिक अभिरक्षा में अवधि :- 19.06.2012 से दिनांक 21.06.2012 तक रहा है।

इस प्रकार अभियुक्त ने न्यायिक अभिरक्षा में कुल 2 दिवस बिताये हैं।

c

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)  
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट  
अंजड़, जिला-बड़वानी, म0प्र0